



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 अप्रैल 2015-चैत्र 27, शके 1937

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### नाम परिवर्तन

मैं, शपथकर्ता बासु वर्मा पिता स्व. श्री रमेश वर्मा, उम्र 32 साल, धंधा नौकरी, साक्ष्य लेखक सिविल कोर्ट अमरबाड़ा, हैड ऑफिस, जिला एवं सत्र न्यायालय छिन्दवाड़ा, निवासी ग्राम ढावा, तहसील अमरबाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) शपथपूर्वक निम्नानुसार कथन करता हूँ—

1. यहकि, मैं मूलतः ग्राम ढावा, थाना अमरबाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा का निवासी हूँ और मेरा राशि नाम 'बसोड़ी लाल वर्मा' एवं बासु वर्मा है और मेरे ग्राम एवं घर में मुझे बसोड़ी लाल वर्मा एवं बासु वर्मा के नाम से जाना एवं पहचाना जाता है.
2. यहकि, मेरा नाम अंकसूची में बसोड़ीलाल वर्मा दर्ज है, किन्तु मुझे उक्त नाम से बहुत कम लोग जानते व पहचानते हैं, मेरे निर्वाचन आयोग पहचान सम्बन्धी आधार कार्ड तथा मेरे बच्चों की अंकसूची में भी पिता की हैसियत से मेरा नाम बासु वर्मा दर्ज हो गया है तथा मुझे बासु वर्मा पिता स्व. श्री रमेश वर्मा के नाम से ही जानते व पहचानते हैं.
3. यहकि, मैं बासु वर्मा नाम को ही सरकारी रिकार्ड में दुरस्त करना चाहता हूँ तथा बसोड़ी लाल वर्मा पिता स्व. श्री रमेश वर्मा का नाम विलोपित किया जाकर मुझे बासु वर्मा पिता स्व. श्री रमेश वर्मा के नाम से जाना, पहचाना जावे क्योंकि बसोड़ी लाल वर्मा व बासु वर्मा एक ही व्यक्ति है.
4. यहकि, 'बासु वर्मा एवं बसोड़ी लाल वर्मा' एक ही व्यक्ति है अर्थात मैं, शपथकर्ता का ही नाम है और मुझे अब भविष्य में बासु वर्मा के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे.

अतः शपथ पत्र पेश है.

पुराना नाम :  
( बसोड़ीलाल वर्मा )

नया नाम :  
( बासु वर्मा )

पुत्र स्व. श्री रमेश वर्मा,  
निवासी-ग्राम ढावा, तहसील अमरबाड़ा,  
जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.).

(13-बी.)

#### नाम परिवर्तन

मैं, शपथकर्ता नीलमणी जैन पत्नि श्री अजय जैन, आयु 42 वर्ष, बरेली, जिला रायसेन मध्यप्रदेश की निवासी हूँ. मैं, शपथकर्ता के दो नाम

नीलू एवं नीलमणी हैं। इन दो नामों से मुझे जाना पहचाना जाता है, जबकि दस्तावेजों में मेरा नाम विवाह पूर्व नीलमणी बजाज पुत्री नरेन्द्र कुमार बजाज विवाह पश्चात् नीलमणी जैन पत्नि अजय जैन अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र सोमिल जैन के स्कूल रिकार्ड एवं मार्कशीट में मेरा नाम नीलू जैन अंकित हो गया है। अतः पुत्र सोमिल जैन के स्कूल रिकार्ड, मार्कशीट सहित अन्य समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम नीलमणी जैन पत्नि अजय जैन पढ़ा व अंकित किया जाये एवं भविष्य में मुझे नीलमणी जैन नाम से ही जाना जाये।

पुराना नाम :  
( नीलू जैन )

(15-बी.)

नया नाम :  
( नीलमणी जैन )  
पत्नि-श्री अजय जैन,  
बडकुल भवन, जैन मंदिर के पास बरेली,  
जिला रायसेन ( म.प्र. )

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, परिक्षित यादव, उम्र 24 वर्ष पिता श्री मुकेश यादव ने अपना नाम परिवर्तित करके अभिजय सिंह यादव कर लिया है जिसकी विधिवत् कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। अतः मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरे नये नाम अभिजय सिंह यादव के नाम से लिखा, पढ़ा, जाना, पहचाना जावे।

पुराना नाम :  
( परिक्षित यादव )

(17-बी.)

नया नाम :  
( अभिजय सिंह यादव )  
पिता-श्री मुकेश यादव,  
3, अम्बालिकाश्री परिसर, जे. डी. ए.  
मार्केट के पीछे, शांतिनगर, जबलपुर.

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि मेसर्स विनय ट्रेडर्स फर्म जिसका पता शाप नम्बर-74, नवीन फल एवं सब्जी मण्डी, तेजपुर गड़बड़ी, इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/03/00216/14, दिनांक 20-1-2014 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है। जिसके भागीदार 1. श्री आलानूर पिता श्री हसन जी, 2. श्री मोहम्मद पिता श्री रहीम भाई कूंजड़ा एवं 3. श्रीमती सायरा पति श्री रहीम भाई कूंजड़ा थे। दिनांक 12-03-2015 से 1. श्री आलानूर पिता श्री हसन जी उक्त भागीदारी फर्म से अलग हो गये हैं। इन्होंने फर्म से अपना पूर्ण हिसाब-किताब कर लिया है अब फर्म मेसर्स विनय ट्रेडर्स से कोई लेना-देना नहीं है यह विदित हो।

तर्फे

मेसर्स विनय ट्रेडर्स,

1. श्री मोहम्मद पिता श्री रहीम भाई कूंजड़ा,
  2. श्रीमती सायरा पति श्री रहीम भाई कूंजड़ा.
- ( भागीदार )

(08-बी.)

### भागीदारी फर्म के विघटन की सूचना

मैसर्स सन्नी डेवलपर्स एक भागीदारी फर्म है, जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म इन्दौर में जिसका पंजीयन क्रमांक 02/27/03/00034/05, दिनांक 02-06-2005 इस फर्म में से ब्रजलाल बालानी पिता मंशाराम तथा सुमित बालानी पिता श्री साधुराम स्वेच्छा से दिनांक 15-02-2013 से निवृत्त हो गये। अब उक्त फर्म में साधुराम बालानी पिता श्री मंशाराम बालानी एकमात्र मालिक हो गये।

एम. एम. केशवानी,

टेक्स प्रेक्टिशनर,

13/2, पल्सीकर कॉलोनी, इन्दौर ( म.प्र. )

(09-बी.)

### जाहिर सूचना

यह है कि भागीदारी फर्म मै. ए. बी. एस. फूड्स पता 1001, रूफ टॉप, शेखर सेन्ट्रल, पलासिया स्क्वायर, इन्दौर-452001 ( म.प्र. ) है जिसका रजिस्ट्रेशन नं. 03/27/03/00232/14, दिनांक 29 जनवरी, 2014 है जिसमें भागीदार श्री ऋषी अग्रवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश अग्रवाल, निवासी 13 बी/ए, स्लाइस नं. 06, स्कीम नं. 78, विजयनगर, इन्दौर ( म.प्र. ) एवं श्री अंकित सिंहल पुत्र श्री महेश कुमार सिंहल, निवासी 13, सिविल लाइन्स, महिदपुर, जिला उज्जैन ( म.प्र. ) है। दिनांक 01-04-2014 को श्री मनीष कुमार भागवानी पुत्र श्री मोहन लाल भागवानी, निवासी 402, प्रिसेंज ग्रीन व्यू अपार्टमेंट, 5/3 न्यू पलासिया, इन्दौर ( म.प्र. ) एवं श्री शैलेश अग्रवाल पुत्र श्री सुरेश चंद्र अग्रवाल, निवासी 630, उषा नगर एक्सटेंशन, अपोजिट दशहरा

मैदान, अन्नपूर्णा रोड, सुदामानगर, इन्दौर मध्यप्रदेश एडमिट हुये. अतः वर्तमान भागीदार फर्म मै. ए. बी. एस. फूड्स के भागीदार श्री ऋषी अग्रवाल, श्री अंकित सिंहल, श्री मनीष कुमार भागवानी एवं श्री श्री शैलेष अग्रवाल हैं. अतः किसी भी भागीदार व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति फर्म के रजिस्टर पते पर दस दिन के अन्दर लिखित या मौखिक दर्ज कराये.

मै. ए. बी. एस. फूड्स,  
**ANKIT SINGHAL,**  
(Partner).

(10-B.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मै. समर्थ कन्स्ट्रक्शन, मीरा नगर, मुरार, ग्वालियर के नाम से एक फर्म रजिस्टर्ड है. रजिस्ट्रेशन के समय उक्त फर्म में निम्न तीन भागीदार थे—

1. अजमेर सिंह गुर्जर पुत्र श्री महावीर सिंह गुर्जर, निवासी मीरा नगर, मुरार, ग्वालियर.
2. वीरेंद्र कुमार शर्मा पुत्र श्री रामलखन शर्मा, निवासी मौ रोड, मेहगाँव, भिण्ड.
3. श्रीमति सीता शर्मा पत्नी श्री सुरेश कुमार शर्मा, निवासी शिव साईंनगर, ग्वालियर.

मै. समर्थ कन्स्ट्रक्शन में दिनांक 24-09-2014 को हुए संशोधन के अनुसार उक्त फर्म के दो पूर्व भागीदार क्रमांक 2 (वीरेंद्र कुमार शर्मा पुत्र श्री रामलखन शर्मा, निवासी मौ रोड मेहगाँव भिण्ड) तथा भागीदार क्रमांक 3. (श्रीमति सीता शर्मा पत्नी श्री सुरेश कुमार शर्मा, निवासी शिव साईं नगर ग्वालियर) अपना हिस्सा लेकर फर्म से अलग हो गये हैं तथा फर्म में इन दो भागीदारों के स्थान पर एक नया भागीदार सुरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री रामनारायण शर्मा, निवासी शिव साईंनगर, ग्वालियर जुड़ गये हैं.

दिनांक 24-09-2014 को हुए संशोधन के अनुसार उक्त फर्म में अब केवल निम्न दो भागीदार रहेंगे.

1. अजमेर सिंह गुर्जर पुत्र श्री महावीर सिंह गुर्जर, निवासी मीरा नगर, मुरार ग्वालियर.
2. सुरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री रामनारायण शर्मा, निवासी शिव साईं नगर, ग्वालियर.

हटने वाले भागीदारों को फर्म में अब कोई अधिकार प्राप्त नहीं है तथा सारे अधिकार वर्तमान भागीदारों को प्राप्त हो गये हैं, अगर किसी को उक्त सम्बन्ध में कोई आपत्ती है तो आम सूचना प्रकाशित होने के 7 दिवस के अंदर निम्न नम्बर पर सम्पर्क करें.

**DHARMENDRA MANDELIA,**  
(Advocate & Tax Consultant)  
Add.—Shop No. 8, Huzrat Market,  
Opposit Huzrat Kotwali, Gwalior  
Mobile No. 9329250407.

(11-B.)

### NOTICE

#### U/s. 72 OF INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that changes have occurred in the Constitution of the firm M/s Madanlal Chhaganlal, 59, Bada Sarafa, Indore viz. Shri Saumil Nagar S/o Shri Sanjeev Kumar Nagar, has joined the firm w.e.f. 01-04-2014 and fresh deed of partnership has been executed accordingly.

For-Madanlal Chhaganlal,  
1. **Pramod Nagar,**  
2. **Priyesh Nagar.**  
(Partner).

(12-B.)

### NOTICE

#### U/s. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firm "M/s SHIVAM CONSTRUCTION" of Kareli Vide Reg. No. 04/16/03/00065/2009, Dated 04-08-2009 undergone the following changes:-

1. That Shri Dilip Singh Mamar S/o Shri Narendra Singh Mamar and Shri Neeraj Singh Mamar S/o Shri Narendra Singh Mamar has Joined the Partnership firm w.e.f. 01/06/2011 and Bhoopendra Singh Rajput S/o Shri Raghuveer Singh Rajput has expressed has desire to retire from the Partnership firm w.e.f. 01/06/2011.

“ M/s SHIVAM CONSTRUCTION”  
**SANDEEP SINGH MAMAR**  
( Partner)

(14-B.)

Main Road, Kareli, Disst-Narsingpur.

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स जय श्री राम ट्रेडर्स ग्वालियर स्थित-2729, आदर्श कॉलोनी, गोले का मंदिर, ग्वालियर में दिनांक 01-04-2015 से भागीदार श्री उमेश सिंह पुत्र श्री रामचेत सिंह, निवासी आदर्श कॉलोनी, गोले का मंदिर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं इसी दिनांक 01-04-2015 से श्री श्याम सिंह चौहान पुत्र स्व. श्री राम नरेश सिंह चौहान, निवासी आदर्श कॉलोनी, गोले का मंदिर, ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं, आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

फर्म—जय श्री राम ट्रेडर्स

अर्चना सिंह,

2729, आदर्श कॉलोनी, गोले का मंदिर,

ग्वालियर (म. प्र.).

द्वारा—हेमन्त सिरसट (कर सलाहकार)

सोगानी एण्ड कम्पनी, नया बाजार, लश्कर,

ग्वालियर.

(16-बी.)

### विविध

#### निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 01 अप्रैल, 2015

क्र.जी.बी./दो(20)2015/943.—परिशिष्ट-2 में उल्लेखित 453 बाल विकास परियोजना कार्यालयों को प्रदाय संलग्न सूची अनुसार स.क्र. 2, 3 एवं 4 रजिस्ट्रों के निर्धारित तकनीकी विवरण अनुसार पेपर सहित प्रिंटिंग, हार्डकेस मेकिंग, श्रेड सेविंग, लेमिनेशन, पैकिंग, परिवहन एवं अन्य समस्त कर सहित प्रदाय करने के इच्छुक प्रिन्टर्स/निविदाकारों से आईटी डिपार्टमेंट की वेबसाइट <https://mpeproc.gov.in> से ऑनलाईन निविदाएं दिनांक 22 अप्रैल, 2015 अपराह्न 2.00 बजे तक की-डेट्स अनुसार आमंत्रित की जाती हैं।

2. ऑनलाईन तकनीकी निविदा की हार्डकापी, पेपर नमूनें अभिप्रमाणित हस्ताक्षर सहित, शर्तों पर सहमति हस्ताक्षर सहित की-डेट्स अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा. ऑनलाईन तकनीकी भाग को दिनांक 22 अप्रैल, 2015 को अपराह्न 4.00 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष पोर्टल से डाउनलोड किया जावेगा एवं हार्डकापी के प्रस्तुत दस्तावेजों को खोला जावेगा।

3. किसी भी प्रकार का संशोधन/सुधार/परिवर्तन होने की सूचना <https://mpeproc.gov.in> पर उपलब्ध रहेगी।

अरूण तिवारी,

नियंत्रक,

शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,

मध्यप्रदेश, भोपाल.

(233)

### न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी/रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, कटनी, जिला कटनी

( प्रारूप-चार )

प्र. क्र./01/बी-113/2014-15.

[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 ( तीस ) 95 की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट नियम, 1962 नियम-5 (1) के अंतर्गत ]

चूंकि आवेदक श्री डॉ. गीता गुप्ता, निवासी जी. जी. नर्सिंग होम, मदन मोहन चौबे वार्ड, कटनी द्वारा डॉ. गीता गुप्ता चेरिटेबल ट्रस्ट मैसर्स जी. जी. नर्सिंग होम, मदन मोहन चौबे वार्ड, कटनी द्वारा मध्यप्रदेश ट्रस्ट एक्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट के एवं सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के सम्बन्ध में आपत्ति दावा पेश करना चाहे तो यह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से एक माह अर्थात् तीस दिवस के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

**परिशिष्ट**

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं चल/अचल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता	:	डॉ. गीता गुप्ता चेरीटेबल ट्रस्ट जी. जी. नर्सिंग, होम मदन मोहन चौबे वार्ड, कटनी.
चल सम्पत्ति	:	30616/- जमा देना बैंक में.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

न्यास की आय के स्रोत न्यासीगण का अंशदान एवं अन्य प्राप्तियां औसत सकल वार्षिक आय-लगभग पच्चीस हजार रुपये.

आज दिनांक 26 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से प्रसारित किया गया.

**एस. यू. सैयद,**

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(234)

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, जिला सागर****फार्म-4**

[नियम-5(1) देखिए ]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

आवेदक श्री प्रकाश चंद जैन पिता स्व. श्री भैयालाल जैन, निवासी बाहुबली कॉलोनी, मोतीनगर वार्ड सागर श्री बाहुबली दिगम्बर जैन मंदिर ट्रस्ट सागर, मध्यप्रदेश तहसील सागर द्वारा नियम-4-1 मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास विधान के अंतर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर श्री बाहुबली दिगम्बर जैन मंदिर ट्रस्ट सागर, मध्यप्रदेश न्यास के पंजीयन हेतु निवेदन किया है जिसकी सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 27 अप्रैल, 2015 को प्रातः 11 बजे की जावेगी.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

**अनुसूची**

लोक न्यास का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण

लोक न्यास का नाम व पता	:	श्री बाहुबली दिगम्बर जैन मंदिर ट्रस्ट सागर, मध्यप्रदेश बाहुबली कॉलोनी, मोतीनगर वार्ड सागर
अचल सम्पत्ति	:	मंदिर भवन बैनामा दिनांक 11 जुलाई, 1986 दस्तावेज क्रं. 2271, दिनांक 14 जुलाई, 1986 कीमत "निरंक". भवन बैनामा दिनांक 22 अक्टूबर, 1999 दस्तावेज क्रं. 1487, दिनांक 29 अक्टूबर, 1999 कीमत "निरंक". भवन बैनामा दिनांक 21 मई, 2009 दस्तावेज क्रं. 1074, दिनांक 21 मई, 2009 कीमत "निरंक".

(222)

**फार्म-4**

[नियम-5(1) देखिए ]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

आवेदक श्री प्रकाश चंद जैन पिता स्व. श्री भैयालाल जैन, निवासी बाहुबली कॉलोनी, मोतीनगर वार्ड सागर श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर ट्रस्ट बहेरिया साहनी सागर, मध्यप्रदेश तहसील सागर द्वारा नियम-4-1 मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास विधान के अंतर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर ट्रस्ट बहेरिया साहनी सागर, मध्यप्रदेश न्यास के पंजीयन हेतु निवेदन किया है जिसकी सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 27 अप्रैल, 2015 को प्रातः 11 बजे की जावेगी.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अधिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

### अनुसूची

लोक न्यास का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण

लोक न्यास का नाम व पता	:	श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर ट्रस्ट, बहेरिया साहनी सागर, मध्यप्रदेश बहेरिया साहनी सागर.
चल सम्पत्ति	:	आन्ध्रा बैंक में जमा रीश रुपये 2,75,997/-.

कमल सोलंकी,

अनुविभागीय अधिकारी.

(222-A)

### अन्य सूचनाएं

#### कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, जिला रतलाम

रतलाम, दिनांक 27 मार्च, 2015

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2015/618.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/994 रतलाम, दिनांक 03 नवम्बर, 2014 के द्वारा अनामिका नमकीन सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम, जिला रतलाम का परिसमापन किये जाने हेतु श्री एन. के. नान्देचा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनामिका नमकीन सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम, जिला रतलाम का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(220)

रतलाम, दिनांक 27 मार्च, 2015

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2015/610.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/1000 रतलाम, दिनांक 03 नवम्बर, 2014 के द्वारा विश्वमाता बीज उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, बडायला माताजी, जिला रतलाम का परिसमापन किये जाने हेतु श्री ए. एस. राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वमाता बीज उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, बडायला माताजी, जिला रतलाम का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(223)

रतलाम, दिनांक 27 मार्च, 2015

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2015/611.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/996 रतलाम, दिनांक 03 नवम्बर, 2014 के द्वारा चम्बल बीज उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, आलोट, जिला रतलाम का परिसमापन किये जाने हेतु श्री ए. एस. राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए चम्बल बीज उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, आलोट, जिला रतलाम का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(223-A)

रतलाम, दिनांक 27 मार्च, 2015

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2015/612.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2014/1387, रतलाम, दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, थम्बगुराडिया, जिला रतलाम, का परिसमापन किये जाने हेतु श्री ए.एस. राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, थम्बगुराडिया, जिला रतलाम का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(223-B)

रतलाम, दिनांक 27 मार्च, 2015

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2015/613.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2014/992, रतलाम, दिनांक 03 नवम्बर, 2014 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, गुर्जर बर्डिया, जिला रतलाम, का परिसमापन किये जाने हेतु श्री ए. एस. राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित, गुर्जर बर्डिया, जिला रतलाम का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(223-C)





रतलाम, दिनांक 27 मार्च, 2015

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2015/617.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2013/1056, रतलाम, दिनांक 26 जुलाई, 2013 के द्वारा एस. बी. आई. अवार्ड स्टॉफ गृह निर्माण सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम, जिला रतलाम का परिसमापन किये जाने हेतु श्री एन. के. अडानिया, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए एस. बी. आई. अवार्ड स्टॉफ गृह निर्माण सहकारी सोसायटी मर्यादित, रतलाम, जिला रतलाम का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(223-G)

रतलाम, दिनांक 27 मार्च, 2015

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2015/619.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2014/991, रतलाम, दिनांक 03 नवम्बर, 2014 के द्वारा महात्मा गांधी बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी मर्यादित, जावरा, जिला रतलाम का परिसमापन किये जाने हेतु श्री आर. के. भट्ट, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. सोसायटी के परिसमापक द्वारा सोसायटी की आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महात्मा गांधी बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी मर्यादित, जावरा, जिला रतलाम का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए सोसायटी के निगमित निकाय अवस्था को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

पी. आर. कावडकर,

उप-रजिस्ट्रार.

(223-H)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (बी/ख एवं सी/ग) के अन्तर्गत)

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पत्र क्रमांक-1464, दिनांक 24 जून, 2014 को अनुपम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन DR/UJN71/80-81 कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया. जिसके अनुसार संस्था के द्वारा संस्था के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत की जांच हेतु जांच अधिकारी को रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया शिकायत मुख्यतः संस्था के अध्यक्ष द्वारा अवैधानिक कार्य करने के सम्बन्ध में है. संस्था मुख्यतः किसी व्यक्ति/अध्यक्ष के हित को सम्परिवर्तित करने के लिए कार्य कर रही है. परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2) (बी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

इस सम्बन्ध में संस्था अध्यक्ष द्वारा दिनांक 27 जून, 2014 को पत्र लिखकर अवगत कराया गया कि व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 09 जुलाई, 2014 को कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे. किन्तु नियत दिनांक 09 जुलाई, 2014 को. उनके द्वारा सूचित किया गया कि उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र के विरुद्ध आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के समक्ष मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-80 क के अन्तर्गत कारण बताओं सूचना-पत्र के आधार पर की जाने वाली कार्यवाही को न्यायालय में निगरानी आवेदन-पत्र के निराकरण तक स्थगित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है. इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा निगरानी आवेदन के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा दिया गया कोई स्थगन आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है.

उक्त निगरानी न्यायालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं भोपाल से न्यायालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, उज्जैन संभाग, उज्जैन को सुनवाई हेतु अंतरित प्राप्त हुईं. न्यायालय उज्जैन के पत्र क्रमांक 1398, दिनांक 02 सितम्बर, 2014 के द्वारा संस्था का अभिलेख चाहा गया था. कार्यालय के पत्र क्र. 2311, दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को संस्था की नस्ती भेजी गई. न्यायालय संयुक्त आयुक्त सहकारी संस्थाएं, उज्जैन द्वारा दिनांक 04 फरवरी, 2015 को निगरानी अपील खारिज कर विधि अनुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु लौटाई गई.

न्यायालय द्वारा अपील निरस्त किये जाने के एक माह से अधिक का समय व्यतीत होने के उपरांत भी संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई पदाधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिशः उपस्थित हुआ. संस्था द्वारा संस्था के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच हेतु जांच अधिकारी एवं कार्यालय को रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया है. जांच प्रतिवेदन में यह प्रमाणित पाया गया कि संस्था अध्यक्ष द्वारा वरियता क्रम का उल्लंघन करते हुये स्वयं, उपाध्यक्ष तथा एक अन्य व्यक्ति को तीन अविकसित भूखण्डों का पंजीयन करवा लिया गया है. इस प्रकार सोसायटी मुख्यतः किसी व्यक्ति के या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य कर रही है. सोसायटी द्वारा इस अधिनियम की धारा-72 एवं आदर्श उपविधियां क्रमांक 43 (1) के अधीन शर्तों का अनुपालन करना बन्द कर दिया गया.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (बी/ख एवं सी/ग) तथा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुपम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन DR/UJN71/80-81 को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री राजीव लोचन नागर, सहकारी निरीक्षक, को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 17 मार्च, 2015 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

**मनोज जायसवाल,**

उप-पंजीयक.

(224)

### कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत ]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि.2014/1285, धारा, दिनांक 25 अगस्त, 2014 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुराड़ाखाल, तहसील मनावर, जिला धार (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 1094, दिनांक 24 नवम्बर, 2001 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री के. के. जमरे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुराड़ाखाल, तहसील मनावर, जिला धार (मध्यप्रदेश) का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(225)

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत ]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि.2014/1288, धार, दिनांक 25 अगस्त, 2014 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., साततलाई, तहसील मनावर, जिला धार (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 1082, दिनांक 28 सितम्बर, 2001 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री के. के. जमरे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., साततलाई, तहसील मनावर, जिला धार (मध्यप्रदेश) का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(225-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि.2014/3514, धार, दिनांक 28 अक्टूबर, 1976 के द्वारा आदिवासी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., अजन्दा, तहसील मनावर, जिला धार (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 292, दिनांक 30 सितम्बर, 1965 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत आदेश क्र./परिसमापन/2014/282, दिनांक 12 फरवरी, 2014 से श्री गोपाल ताम्रकार, सहकारी निरीक्षक, धार को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत आदिवासी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., अजन्दा, तहसील मनावर, जिला धार (मध्यप्रदेश) का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

ओ. पी. गुप्ता,

उप आयुक्त सहकारिता.

(225-B)

### कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार

धार, दिनांक 16 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उप-नियम-57 (1)(सी/ग) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खरसौडा	1107/25-06-2002	88/02-01-2010
2.	आदिवासी बहु. सह. संस्था मर्या., लंगूर	334/19-03-1968	3514/28-10-1976
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., करोंदिया	1214/01-08-2006	1450/23-08-2012
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मुण्डला	1213/01-08-2006	1449/23-08-2012

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के उपनियम 57 (1)(सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तदानुसार समिति की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 मार्च, 2015 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

आर. सी. मालवीय,  
परिसमापक एवं व. स. निरीक्षक.

(226)

**कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार**

धार, दिनांक 16 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उप-नियम-57 (1)(सी/ग) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टाण्डाखेडा	1048/25-02-2000	144/30-01-2015
2.	बालाजी ईट-भट्टा सहकारी संस्था मर्या., तिरला (राजगढ़)	810/27-03-1992	145/30-01-2015
3.	आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., फरसपुरा	1018/23-06-1998	146/30-01-2015
4.	श्री श्याम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पटलावद	1262/07-06-2010	143/30-01-2015

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के उपनियम 57 (1)(सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तदानुसार समिति की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 मार्च, 2015 को मेरे द्वारा जारी किया गया है।

**प्रदीप पाठक,**

परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(227)

**कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार**

धार, दिनांक 16 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उप-नियम-57 (1)(सी/ग) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	जय श्री भैरवनाथ मत्स्य सह. संस्था मर्या., आमखेडा	1124/01-12-2002	149/30-01-2015
2.	मयूर आदिवासी मत्स्य सह. संस्था मर्या., बडगांव	1025/05-12-1998	148/30-01-2015
3.	अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेजवानी	1234/15-12-2007	147/30-01-2015
4.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., सरजापुर (धरमपुरी)	1135/23-12-2002	166/05-02-2013
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मिण्डा	745/23-01-1990	165/05-02-2015

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के उपनियम 57 (1)(सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे।

यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तदनुसार समिति की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 मार्च, 2015 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

(228)

सी. बी. पाण्डे,  
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

### कार्यालय, परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना

सतना, दिनांक 10 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./क्यू.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना के आदेशानुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापन में लायी गई संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	जय अम्बे महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., करूआ	.	1229/10-12-2014
2.	रासायनिक खाद क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., बंडी	539/28-07-2007	1207/10-12-2014
3.	गंगा प्राथमिक सहकारी उप. भण्डार मर्या., बरहा	296/04-09-1998	1230/10-12-2014
4.	हनुमान प्राथ. सहकारी उप. भण्डार मर्या., बेलहटा	306/03-04-1999	1233/10-12-2014
5.	प्राथमिक सहकारी उप. भण्डार मर्या., वार्ड 06, बिरसिंहपुर	57/20-10-1991	1109/05-09-2012

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस) में मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हों तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्थाओं के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी/संस्थाओं के पास संस्थाओं का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा दें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(229)

गेहचन्द्र पटेल,  
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

### कार्यालय, परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना के आदेश क्र./परि./2014/1221, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापन में लायी गई संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पवैया	494/27-04-2004	1221/10-12-2014
2.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., गुलुवा	495/27-04-2004	1222/10-12-2014
3.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., तुरी	483/13-04-2004	1223/10-12-2014
4.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सहिजना	469/14-01-2004	1225/10-12-2014

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस) में मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हों तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्थाओं के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्थाओं का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

**रचई प्रसाद,**

परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक.

(230)

### कार्यालय, परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना

सतना, दिनांक 11 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./15/1.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना के आदेशानुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है। परिसमापन में लायी गई संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	माँ दुर्गा क्रय-विक्रय सहकारी समिति जैतवारा	538/24-04-2001	1208/10-12-2014
2.	महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., पछीत	444/03-03-2003	1217/10-12-2014
3.	महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., कुलगढ़ी	424/28-09-2002	1215/10-12-2014
4.	महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., बाँधी मौहार	395/28-05-2002	1212/10-12-2014

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी के नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस) में मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हों तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने यदि कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्थाओं के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्थाओं का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करवा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

**बी. एल. कनौजी,**

उप-अंकेक्षक.

(231)



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 अप्रैल, 2015-चैत्र 27, शके 1937

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2014

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक. — तहसील कुम्भराज (गुना), पृथ्वीपुर, बल्देवगढ़, पलेरा (टीकमगढ़), बकस्वाहा (छतरपुर), पन्ना, गुन्नौर, पवई, शाहनगर (पन्ना), खुरई, बंडा, सागर, रहली, देवरी, गढ़ाकोटा, राहतगढ़, मालथोन (सागर), रीवा, सिरमौर, मऊगंज, हनुमना, हुजूर, रामपुरकचुलियान (रीवा), ब्यौहारी, गोहपारू, जैसिंहनगर (शहडोल), बांधवगढ़, पाली, उमरिया (उमरिया), गोवपदबनास, मझौली, कुसमी, चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), भानपुरा, गरोठ, श्यामगढ़ (मंदसौर), खाचरौद, महिदपुर, तराना, घटिया (उज्जैन), गैरतगंज, गौहरगंज, बरेली, सिलवानी, बाड़ी (रायसेन), भैंसदेही, शाहपुर, चिचोली, बैतूल, मुल्ताई, आठनेर (बैतूल), सीहोरा, पाटन, जबलपुर, मझौली, कुंडम (जबलपुर), निवास, मंडला, घुघरी (मंडला), छिन्दवाड़ा, पांडुर्ना (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक. — तहसील भितरवार, घाटीगांव (ग्वालियर), सेंवढा, दतिया, भाण्डेर (दतिया), अशोकनगर (अशोकनगर), गुना, राघोगढ़, आरोन, चाचौड़ा (गुना) लवकुशनगर, गौरीहाबर, छतरपुर, राजनगर, बिजावर, बड़ामल्हरा (छतरपुर), अजयगढ़ (पन्ना), बीना, केसली, शाहगढ़ (सागर), गुढ़ (रीवा), सोहागपुर, जैतपुर (शहडोल), उज्जैन (उज्जैन), खकनार, नेपानगर (बुरहानपुर), हुजूर (भोपाल), उदयपुरा (रायसेन), बिछिया, नैनपुर (मंडला) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक. — तहसील ग्वालियर, डबरा (ग्वालियर), ईसागढ़, चन्देरी (अशोकनगर) निवाड़ी, ओरछा (टीकमगढ़), नौगांव (छतरपुर), बुरहानपुर (बुरहानपुर), बैरासिया (भोपाल), रायसेन, बेगमगंज (रायसेन) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक. — तहसील मुंगावली (अशोकनगर), बमोरी (गुना), जतारा, टीकगढ़ (टीकमगढ़) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, छतरपुर, सागर, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सीहोर, जबलपुर, कटनी व सिवनी में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला अनूपपुर, सिवनी में फसल गेहूँ व कटनी में गेहूँ, मटर व श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, उमरिया, सीधी, इन्दौर, खरगौन, बुरहानपुर, सीहोर, रायसेन, जबलपुर, नरसिंहपुर व डिण्डोरी में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—

5. **कटाई.**—जिला अनूपपुर में धान व बैतूल में खरीफ फसल गन्ना की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, सागर, दमोह, सतना, शहडोल, उमरिया, नरसिंहपुर व सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.



## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2014

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी ( कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
<b>जिला मुरैना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	..				
2. पोरसा	..				
3. मुरैना	..				
4. जौरा	..				
5. सबलगढ़	..				
6. कैलारस	..				
<b>जिला श्योपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, अलसी सुधरी हुई. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	..				
2. कराहल	..				
3. विजयपुर	..				
<b>*जिला भिण्ड :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. अटेर	..				
2. भिण्ड	..				
3. गोहद	..				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	..				
6. मिहोना	..				
7. रौन	..				
<b>जिला ग्वालियर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, उड़द, मूँगमोठ, तुअर, मूँगफली अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	38.3				
2. डबरा	35.4				
3. भितरवार	33.0				
4. घाटीगांव	26.0				
<b>जिला दतिया :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मूँगफली समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	25.0				
2. दतिया	29.0				
3. भाण्डेर	31.0				
<b>जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..				
2. पिछोर	..				
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बदरवास	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला अशोकनगर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	65.0		4. (1) उड़द अधिक. सोयाबीन, गन्ना कम. मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	46.0		(2) . .		
3. अशोकनगर	34.0				
4. चन्देरी	39.0				
5. शाढौरा	. .				
<b>जिला गुना :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	30.8		4. (1) चना, गेहूँ, सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	27.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बमोरी	64.0				
4. आरोन	28.0				
5. चाचौड़ा	21.0				
6. कुम्भराज	7.0				
<b>जिला टीकमगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	48.0		4. (1) गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	5.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	59.0				
4. टीकमगढ़	58.0				
5. बल्देवगढ़	9.0				
6. पलेरा	5.0				
7. ओरछा	37.0				
<b>जिला छतरपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लवकुशनगर	24.0		4. (1) ज्वार, तुअर अधिक. तिल कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	28.0		(2) . .		
3. नौगांव	44.0				
4. छतरपुर	32.6				
5. राजनगर	34.2				
6. बिजावर	28.0				
7. बड़ामलहरा	32.0				
8. बकस्वाहा	10.2				
<b>जिला पन्ना :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	20.4		4. (1) मूँग अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, सोयाबीन, तिल कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	15.0		(2) . .		
3. गुन्नौर	3.0				
4. पवई	10.0				
5. शाहनगर	12.2				
<b>जिला सागर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	24.6		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	14.6		(2) . .		
3. बण्डा	11.4				
4. सागर	17.2				
5. रेहली	15.3				
6. देवरी	17.0				
7. गढ़ाकोटा	13.2				
8. राहतगढ़	9.0				
9. केसली	24.0				
10. मालथोन	14.4				
11. शाहगढ़	20.0				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) ज्वार, तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
<b>जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर अधिक. गेहूँ कम. चना, मसूर, अलसी, सरसों समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिहपुर	..				
<b>जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) उड़द अधिक. गेहूँ, चना, मसूर, अलसी कम. जौ, राई-सरसों, अरहर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	13.0				
2. सिरमौर	4.3				
3. मऊगंज	8.8				
4. हनुमना	5.2				
5. हजूर	15.2				
6. गुढ़	18.0				
7. रयपुरकर्चुलियान	15.0				
<b>जिला शहडोल :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, कोदों-कुटकी, तुअर, मक्का, सोयाबीन, लाख, गेहूँ, मसूर, चना, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	21.0				
2. ब्यौहारी	3.0				
3. गोपापास	3.0				
4. जैसिंहनगर	13.0				
5. बुढ़ार	..				
6. जैतपुर	19.0				
<b>जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं गेहूँ की बोनी व धान कोदों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना अधिक. राहर, गेहूँ कम. रामतिल, अलसी, राई-सरसों, मसूर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्परजगढ़	..				
<b>जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, मक्का, कोदों-कुटकी, उड़द, चना, राई-सरसों, अलसी, गेहूँ अधिक. तिल समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	6.2				
2. पाली	11.0				
3. मानपुर	6.0				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. ..
1. गोपदवनास	5.6		4. (1) जौ, गेहूँ कम. राई-सरसों, अलसी, चना, मटर, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिहावल	..		(2) ..		
3. मझौली	2.0				
4. कुसमी	5.0				
5. चुरहट	11.0				
6. रामपुरनैकिन	5.2				
<b>जिला सिंगरौली :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..		4. (1) गेहूँ कम. तुअर, अलसी, मसूर, चना, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..		(2) ..		
3. सिंगरौली	..				
<b>जिला मन्दासौर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सुवासरा-टप्पा	..		4. (1) चना अधिक. गेहूँ कम रायड़ा समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	16.4		(2) ..		
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	9.2				
5. मन्दासौर	..				
6. श्यामगढ़	0.5				
7. सीतामऊ	..				
8. धुन्धड़का	..				
9. संजीत	..				
10. कयामपुर	..				
<b>जिला नीमच :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..		4. (1) गेहूँ, राई-सरसों अधिक. चना, मसूर, मटर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..		(2) ..		
3. मनासा	..				
<b>*जिला रतलाम :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जावरा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. आलोट	..		(2) ..		
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
<b>जिला उज्जैन :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	10.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	9.0		(2) ..		
3. तराना	13.0				
4. घटिया	10.0				
5. उज्जैन	33.0				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
<b>जिला आगर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. बड़ौद	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..		(2) ..		
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
<b>जिला शाजापुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..		(2) ..		
3. शुजालपुर	..				
4. कालापपीपल	..				
5. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, अलसी, राई-सरसों अधिक. गेहूँ, मसूर, जौ कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
<b>जिला झाबुआ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, कपास कम. गेहूँ, चना समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. थांदला	..				
2. मेघनगर	..				
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
<b>जिला अलीराजपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) ज्वार, कपास, तुअर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. जोवट	..				
2. अलीराजपुर	..				
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोण्डवा	..				
5. भामरा	..				
<b>जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना अधिक. गेहूँ, चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	..				
2. सरदारपुर	..				
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
<b>जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..				
2. सांवेर	..				
3. इन्दौर	..				
4. महु	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
<b>जिला खरगौन :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली अधिक. ज्वार, धान, तुअर कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..				
2. महेश्वर	..				
3. सेगांव	..				
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
<b>*जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़वानी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ठीकरी	..		(2) ..		
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
<b>जिला खण्डवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..		4. (1) गेहूँ, चना सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	..				
<b>जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसल की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	42.2		4. (1) कपास, तुअर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	30.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	31.0				
<b>*जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जीरापुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. खिलचीपुर	..		(2) ..		
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
<b>जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	..		4. (1) धान अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
<b>जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	41.0		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर, तेवड़ा, तुअर, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	20.13		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
<b>जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2) ..		
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	35.0		4. (1) गेहूँ, जौ, राई-सरसों, अलसी, मसूर अधिक. चना, मटर, लाख, तिवड़ा कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	16.2		(2) . .		
3. बेगमगंज	43.0				
4. गौहरगंज	3.0				
5. बरेली	16.0				
6. सिलवानी	10.8				
7. बाड़ी	12.0				
8. उदयपुरा	18.0				
<b>जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2. गन्ना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	0.2		4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	. .				
3. शाहपुर	9.6				
4. चिचोली	7.2				
5. बैतूल	0.6				
6. मुलताई	9.0				
7. आठनेर	10.2				
8. आमला	. .				
<b>जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक. (2) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .				
3. बावई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढी	. .				
<b>जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) गेहूँ. (2) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .				
3. टिमरनी	. .				
<b>जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	5.0		4. (1) अलसी, राई-सरसों कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	13.0				
3. जबलपुर	5.3				
4. मझौली	8.2				
5. कुण्डमपुर	13.0				
<b>जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं गेहूँ, मटर की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) . . (2) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .				
3. विजयराघवगढ़	. .				
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला नरसिंहपुर :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	..		4. (1) तुअर, धान, मक्का, उड़द, गन्ना अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	..		(2) ..		
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
<b>जिला मण्डला :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	17.0		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर, लाख, अलसी सुधरी.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	21.4		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. नैनपुर	31.2				
4. मण्डला	4.2				
5. घुघरी	16.0				
6. नारायणगंज	5.6				
<b>जिला डिण्डोरी :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसल की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. ..
1. डिण्डोरी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. शाहपुरा	..		(2) ..		
<b>जिला छिन्दवाड़ा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	11.2		4. (1) गेहूँ, चना, तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुनारदेव	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. परासिया	..				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	..				
6. पांडुर्णा	2.6				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. बिछुआ	..				
10. हरई	..				
11. मोहखेड़ा	..				
<b>जिला सिवनी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं गेहूँ की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	..		4. (1) धान, ज्वार, कोदों-कुटकी, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, मूँगफली, तिल, सोयाबीन, सन, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, लाख, तिबड़ा, अलसी, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. लखनादौन	..				
4. बरघाट	..				
5. उरई	..				
6. घंसौर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	..				
<b>जिला बालाघाट :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..		(2) ..		
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— जिला भिण्ड, रतलाम, बड़वानी, राजगढ़ से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,  
आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(221)